न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, करेडा जिला–भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी– रजनी माथीवाल, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:–388/2017 राजस्व वाद

अनवान

1–श्रीमति लाडू पत्नि श्री ईश्वर गुर्जर निवासी केमरी तहसील करेडा, जिला भीलवाडा।
--- वादीया।

बनाम

1–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब करेडा तहसील करेडा जिला भीलवाडा। ---प्रतिवादी।

वाद अन्तर्गत धारा 88,89 राज0काश्तकारी0अधि0 बाबत घोषणा।

उपस्थित:–

1– अब्दुल रशीद पठान — अधिवक्ता वादीया की ओर से

2– पेराकार सरकार — अधिवक्ता प्रतिवादी।

निर्णय दिनांक: 28.05.2018

प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीया द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89 रा0का0अधि0 बाबत घौषणात्मक विरूद्व प्रतिवादी पेश किया गया। वादपत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी का उजरदारी पेश करने बाबत न्यायालय द्वारा सम्मन जारी किया। सम्मन बाद तामील प्राप्त होकर शामिल फायल किये।

प्रकरण में न्यायालय द्वारा मौके की तथ्यात्मक रिपोर्ट संबंधित पटवारी हल्का एवं भू अभिलेख निरीक्षक को प्रस्तुत करने हेतु मार्फत तहसीलदार करेडा के लिखा गया। प्रकरण में तनकीयात कायम की गई परन्तु लोक अदालत की भावना से उभयपक्ष प्रकरण निर्णित वास्ते मुकाम आमदला उपस्थित आये।

लोक अदालत शिविर में वादीया लाडूदेवी द्वारा निवेदन किया गया कि ग्राम केमरी तहसील करेडा स्थित वादग्रस्त आराजी नंबर 1088/728 रकबा 3.10बीघा भूमि पर विगत 20 वर्षो से कब्जा चला आ रहा है। वादीया द्वारा उसके चारों ओर थोर लगाकर कांटों की बाड कर रखी है तथा वादग्रस्त भूमि में बरसाती फसल प्राप्त करती रही है जिसकी पुष्टि पी.14 की नकलो तथा धारा 91 के तहत जारी नोटिसों से होती है। चूंकि वादीया का कब्जा 20 वर्षो से पुराना है। अतः एडवर्स पजेशन के आधार पर वादीया द्वारा वादग्रस्त 3.10 बीघा का स्वयं को खातेदार घौषित करवाते हुये उक्त भूमि राजस्व अभिलेख में वादीया के पक्ष अंकन की प्रार्थना की है।

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेडा

न्यायालय द्वारा वादीया को समझाईश की गई कि बिलानाम भूमि जो कि सेट ए पार्ट दर्ज रेकार्ड है वह अंतर्गत धारा 88–89 रा0का0 अधि0 के तहत घौषणात्मक वादपत्र की तारीफ में नहीं आता है। राज्यपक्ष द्वारा वादीया के कथन का खंडन प्रस्तुत करते हुये निवेदन किया कि वादीया द्वारा प्रस्तुत धारा 91 के नोटिस से स्पष्ट है कि वादीया का निरन्तर कब्जाकाश्त नहीं रहा है। धारा 91 के नोटिसों में 05–05 साल का अन्तराल है। मौके से वादीया का बेदखल किया जा चुका है तथा उसके द्वारा निरन्तर काश्त भी नहीं की गई है।अतःवादीया का वाद पत्र खारिज फरमाया जावे।

Scanned by CamScanner

मजमें आम चौपाल में वादीया द्वारा स्वीकार किया गया कि जनहित हेतु आरक्षित भूमि का उसके पक्ष में आंवटन/नियमन नहीं किया जा सकता है। उक्त तथ्य की समझायश के बाद स्वयं वादीया द्वारा न्यायालय से निवेदन किया गया कि वह आगे वाद नहीं चलाना चाहती है। तथा आज ही वादपत्र निर्णित फरमाया जावे।

चूँकि वादीया को नियमों के परिपेक्ष्य में ज्ञात हो चुका है कि सेट ए पार्ट भूमि वादीया के पक्ष में दर्ज नहीं हो सकती है एवं वाद आगे नहीं चलाना चाहती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीया का वादपत्र विरूद्ध प्रतिवादी खारिज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। तथा चौपाल में समझाईश की गई कि भविष्य में इस तरह का वादपत्र पुनः पेश नहीं करे। पालनार्थ तहसीलदार को लिखा जावे। तदनुसार डिकी जारी हो। पत्रावली दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर फैसल शुमार हो।

निर्णय सरे ईजलाश सुनाया गया।

(रजनी माधीवाल)
आर.ए.एस.
उपखण्ड. अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर
करेडा जिला भीलवाड़ा

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

Scanned by CamScanner

प्रति

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, करेडा जिला–भीलवाडा (राज0)

पीठासीन अधिकारीः– रजनी माधीवाल, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–388/2017 राजस्व वाद

अनवान

1–श्रीमति लाडू पत्नि श्री ईश्वर गुर्जर निवासी केमरी तहसील करेडा, जिला भीलवाडा।
–– वादीया।

बनाम

1–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब करेडा तहसील करेडा जिला भीलवाडा। ––प्रतिवादी।

वाद अन्तर्गत धारा 88,89 राज0काश्तकारी0अधि0 बाबत धौषणा।

यह मुकदमा अज अदालत वाद इनफिसल कतई हिजरी वकील वादी श्री अब्दुल रशीद पठान मिनजानिब मुददई विपक्षी संख्या 1 पेरोकार सरकार मनलाभिव मुदावला पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि प्रकरण में वादीया का वाद विरूद्ध प्रतिवादी बावत मोजा केमरी प0ह0 आमदला स्थित वादग्रस्त आ0नं0 1088/728 रकवा 3.10 बीघा भूमि अंतर्गत धारा 88–89 बावत धौषणात्मक खारिज किये जाने से कोई अनुतोष देय नहीं होकर एतदद्वारा डिकी प्रदान की जाती है। जो तहसीलदार करेडा को पालनार्थ प्रेषित हो।पक्षकारान खर्चा अपना–अपना वहन करेंगे।

आज तारीख 28.05..2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की।

(रजनी माधीवाल)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी सहायक कलक्टर
उपखंड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर करेडा

Scanned by CamScanner